राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 15(3)कार्मिक/क–2/2013 पार्ट जयपुर, दिनांकः 18.07.2022

परिपत्र

विषयः– राजकीय सेवा में बिना पारी नियुक्त (Out of turn appointment) पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल जारी रखने हेतु सामर्थ्यकारी वातावरण उपलब्ध करवाने के संबंध में।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.07.2017 के द्वारा विभिन्न सेवाओं में राजस्थान के क्रीड़ा पदक विजताओं को बिना पारी नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में प्रथम बार राजस्थान खेल पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 जारी किये गये थे। इस नियम के नियम 3 के उप नियम 4 में निम्न प्रावधान किया गया है–

"ऐसे पदक विजेताओं को, जिन्हे इन नियमों के अधीन नियुक्त किया जाता है, उनकी अपनी–अपनी क्रीड़ाओं में खेल जारी रखने और उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और कम से कम 5 वर्ष तक सामर्थ्यकारी वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा और इस कालावधि के दौरान उनके निष्पादन मूल्यांकन को उनकी क्रीड़ा संबंधी उपलब्धियों से जोड़ा जायेगा। अपेक्षानुसार इन खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने, उनमें प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण के लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा"

अतः राजकीय सेवा में बिना पारी नियुक्त (Out of turn appointment) पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण जारी रखने एवं खेल–कूद प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :–

- नियुक्ति तिथि से कार्यालयाध्यक्ष की अनुमति के पश्चात केन्द्र सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय एवं अन्तरराष्ट्रीय ऑलम्पिक कमेटी/फेडरेशन/काउंसिल या अन्तरराष्ट्रीय पैरालिम्पिक कमेटी के द्वारा समय–समय पर जारी मान्यता/संबद्धता प्राप्त खेल की खेल–कूद प्रतियोगितायें, जो वर्तमान में निम्न हैं, में Participation in coaching/ Pre Training and Sporting events में भाग लेने पर On Duty मानते हुए यह सुविधा परिवीक्षाकाल एवं परिवीक्षाकाल के पश्चात् देय होगी :–

S.No.	Game	Federation	S.No.	Game	Federation
1	Archery	Archery Association of India	20	Kayaking & Canoeing	Kayaking & Canoeing Association of India
2	Athletics	Amateur Atheletics Federation of India	21	Kho-Kho	Kho-Kho Association of India
3	Badminton	Badminton Association of India	22	Luge	Luge Federation of India
4	Basket Ball	Basketball Federation of India	23	Modern Pentathlon	Modern Pentathlon Federation of India
5	Billiards & Snookar	Billiards & Snookar Federation of India	24	Net Ball	Net Ball Federation of India
6	Bowling	Bowling Federation of India	25	Rowing	Rowing Federation of India
7	Boxing	Boxing Federation of India	26	Rugby	Indian Rugby Football Union
8	Cycling	Cycling Federation of India	27	Shooting	National Refile Association of India
9	Equestrian	Equestrian Federation of India	28	Squash	Squash Racket Federation of India
10	Fencing	Fencing Federation of India	29	Swimming	Swimming Federation of India
11	Football	All India Football Federation	30	Table Tennis	Table Tennis Federation of India
12	Golf	The Indian Golf Union	31	Taekwondo	Taekwondo Federation of India
13	Gymnastic	Gymnastic Federation of India	32	Tennis	All India Tennis Association
14	HandBall	Handball Federation of India	33	Triathlon	Indian Triathlon Federation
15	Hockey	Hockey India	34	Volleyball	Volleyball Federation of India
16	Ice Hockey	Ice Hockey Association of India	35	Weight Lifting	Indian Weightlifting Federation
17	Ice Skating	Ice Skating Association of India	36	Wrestling	Wrestling Federation of India
18	Judo	Judo Federation of India	37	Wushu	Wushu Association of India
19	Kabaddi	Amatere Kabaddi Federation of India	38	Yachting	Yachting Association of India

दैनिक खेल की तैयारीः–

- Out of turn appointment के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिक जो मुख्यालय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें कार्यदिवस के दौरान प्रातः 2 घण्टे एवं सायः 2 घण्टे कार्यालय समय में छूट देय होगी। यह छूट नियुक्ति के पश्चात प्रथम दो वर्ष तक के लिए देय होगी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा खिलाड़ी को खेल स्थल पर जाने हेतु अनुमत किया जायेगा तथा इस स्थिति में उसे On Duty पर माना जायेगा। दो वर्ष के

पश्चात प्रशिक्षण के लिए यह छूट उनकी बार्षिक खेल मूल्यांकन एवं प्रगति रिपोर्ट के आधार पर देय होगी।

- खिलाड़ी को प्रशिक्षण स्थल, समय एवं जिस प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है, उसका पूर्ण विवरण देना होगा। प्रशिक्षक द्वारा दैनिक उपस्थिति दर्शाते हुए प्रतिमाह खिलाड़ी की उपस्थिति प्रमाणित की जायेगी, जो खिलाड़ी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।
- यदि कोई खिलाड़ी प्रथम 2 वर्ष की सेवा अवधि में संबंधित खेल में बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उसे प्रमुख शासन सचिव (Staff Welfare Officer) कार्मिक विभाग की सहमति से आगामी 3 वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा।
- शासन सचिवालय में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप में खेल मूल्यांकन एवं प्रगति रिपोर्ट खेल अधिकारी, शासन सचिवालय को एवं जिलों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा जिला खेल अधिकारी को 15 जनवरी तक प्रस्तुत की जावेगी। इस पर संबंधित खेल अधिकारी द्वारा खेल मूल्यांकन कर 15 फरवरी तक आगामी वित्तीय वर्ष में खेल प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन निर्धारित समय उपलब्ध कराने/नहीं कराने की अनुशंषा की जायेगी, जिस पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा 28 फरवरी से पूर्व निर्णय लेकर आदेश जारी किया जायेगा। यह आदेश आगामी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक लागू रहेगा। खेल मूल्यांकन पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा कोई मार्गदर्शन चाहे जाने पर प्रकरण युवा मामले एवं खेल विभाग को प्रेषित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

खेल मूल्यांकनः–

- कर्मचारी/अधिकारी खिलाड़ियों के द्वारा 5 वर्ष में से कम से कम 3 वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर की उक्त मान्यता प्राप्त खेल–कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर प्राप्त प्रमाण पत्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन (टीम रेंकिग/एकल रेंकिग) का आधार मानते हुए संबंधित खेल प्रमाण पत्रों का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- नियुक्ति के 2 वर्ष पश्चात प्रतिवर्ष प्रशिक्षण की प्रगति एवं प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता का आंकलन हेतु शासन सचिवालय में पदस्थापित खिलाड़ी कार्मिकों के लिए खेल अधिकारी, कार्मिक (क- 5) विभाग, शासन सचिवालय को एवं जिला स्तर पर जिला खेल अधिकारी, राजस्थान खेल परिषद को नोडल अधिकारी बनाया जाता है। प्रगति एवं प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता का आंकलन कर संबंधित खेल अधिकारी द्वारा नियोक्ता अधिकारी को टिप्पणी/अनुशंषा की जायेगी। यदि खिलाड़ी द्वारा उपर्युक्तानुसार सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के पश्चात भी लगातार तीन वर्षों तक किसी भी प्रकार की उपलब्धि अर्जित नहीं की जाती है अथवा कम से कम उसी स्तर की प्रतियोगिता, जिसमें पदक जीतने अथवा भाग लेने के आधार पर उसका चयन हुआ है, में भाग नहीं लिया जाता है तो उसे खेल प्रशिक्षण हेतु कार्यालय समय में प्रातः 2 घण्टे एवं सांयः 2 घण्टे की छूट देय नहीं होगी।
- उक्त विषय पर शासन सचिवालय में पदस्थापित खिलाड़ी कार्मिकों के मार्गदर्शन, आंकलन एवं पर्यवेक्षण के लिए खेल अधिकारी, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय को एवं जिला स्तर पर जिला खेल अधिकारी, राजस्थान खेल परिषद को नोडल अधिकारी बनाया जाता है।

खेल पोशाकः–

- उक्त खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खेल पोशाक (फुल ट्रेक सूट एवं नेकर टी–शर्ट) कार्मिक (क–5/खेल विंग) विभाग से वर्ष में एक बार उपलब्ध करवाई जायेगी।

संलग्न मूल्यांकन रिपोर्ट प्रपत्र

18/7/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त अति0मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं ज़िला क़लेक्टर्स सहित)।
5. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

18/7/22

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विभाग

बिना पारी नियुक्त (Out of turn appointment) पदक विजेता खिलाड़ी कार्मिकों का वार्षिक खेल मूल्यांकन एवं प्रगति रिपोर्ट
(अवधि– 01 जनवरी..................से 31 दिसम्बर.................तक)

खिलाड़ी का नाम ....पदनाम..............................नियोक्ता विभाग ....

1.	नियुक्ति के समय खेल का नाम	
2.	प्रथम कार्यग्रहण तिथि एवं नियुक्ति वर्ष	
3.	वर्तमान में पदस्थापित कार्यालय का नाम	
4.	नियुक्ति के समय खेल पदक	
5.	खेल प्रशिक्षक का नाम	

Physical and Game Skill Performance

S. no.	Physical Activity (Morning)	Very Good	Good	Satisfactory	Poor
1.	Running				
2.	Physical strength				
3.	Endurance				

Sr. No.	Game Skill Activity (Evening)				
1	Sparring practice				
2	Bag/pad work				
3	Fitness & reaction				

Game Skill Performance (For para player)

Game Skill Performance Details		Very Good	Good	Satisfactory	Poor
1					
2					
3					

नोटः–
- यदि खिलाड़ी कार्मिक द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय खेल मानकों के समान अथवा उससे बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो स्पष्ट विवरण पृथक से संलग्न किया जावे।
- आगामी वित्तीय वर्ष में खिलाड़ी कार्मिक को दैनिक खेल की तैयारी जारी रखने के संबंध में कारण सहित स्पष्ट अनुशंषा संलग्न करें।

(हस्ताक्षर)
संबंधित खेल अधिकारी
नाम :
पदनाम :
जिला :
दिनांकः

(हस्ताक्षर)
संबंधित खेल प्रशिक्षक
नाम :
पदनाम :
जिला :
दिनांक

प्रतिलिपि...को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(खेल अधिकारी)